



डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश सरकार)
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)-453441 जिला-इन्दौर (म.प्र.),

Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences,

(State University, Government of M.P.)
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow)-453441 Dist-Indore (MP)

क्रमांक : ब्राउस/कुलसचिव/2020/2171

दिनांक : 12.03.2020

कार्यालयीन आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक : एफ-14/2020 दिनांक 05.03.2020, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल के पत्र क्र. आई.डी.एस.पी./2020/197 दिनांक 07.03.2020 एवं उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्र. 249/68/सी.सी./38/20 दिनांक 13.03.2020 के परिपालन में विश्वविद्यालय में नोवेल कोरोना वाइरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतिययात के रूप में विश्वविद्यालय के बालक/बालिका छात्रावास के संबंध में चीफ वार्डन, वार्डन, सहायक वार्डन को निर्देश किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से बालक/बालिका छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं के रूम खाली करवायें। छात्रावास में सिर्फ वहीं छात्र/छात्राएँ रुकेंगे, जिनकी परीक्षा जारी है, उन्हें भी परीक्षा समाप्त होने तक होस्टल में रुकने की अनुमति दी जाये। परीक्षा समाप्त होने पर तत्काल होस्टल खाली करवाया जाये।

उक्त व्यवस्था म.प्र. शासन से आगामी आदेश प्राप्त होने तक जारी रखी जावेगी। विश्वविद्यालय की ओर से सभी को आगामी आदेश वेबसाईट पर अपलोड कर सूचित कर दिया जावेगा।

M. J. Wani
कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के निजी सहायक की ओर मान. कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. चीफ वार्डन (बालक/बालिका), वार्डन (बालक/बालिका), सहायक वार्डन (बालक/बालिका) छात्रावास की ओर इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि वह छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं को तत्काल प्रभाव से रूम खाली करवाये, जिन रूम में ताले लगे हैं उन्हें फोन करके एक दिन का समय देते हुये बुलाये। छात्र/छात्राओं के नहीं आने पर रूम का ताला तोड़कर पंचनामा तैयार करें और उनका सामान एक रूम में सुरक्षित रखा जाये।
3. सहायक कुलसचिव, स्थापना की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने हेतु आदेशार्थ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं श्री हुकुम सिंह, सुरक्षा प्रभारी की ओर बालक/बालिका छात्रावास तत्काल खाली करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

M. J. Wani
कुलसचिव



डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)
डॉ. अम्बेडकर नगर, (महू), जिला-इन्दौर (म.प्र.) भारत-453441
फोन (07324) 2725 30, 274377 फैक्स (07324) 272350

क्रमांक : ब्राउस / कु.स. / छात्रावास / 2020 / 2194

दिनांक : 16.03.2020

सूचना आदेश

विश्वविद्यालय कार्यालयीन आदेश एवं अधिसूचना क्र. ब्राउस/कुलसचिव/2020/2170, 2171 दिनांक 14/03/2020 के परिपालन में छात्रावास खाली करवाने हेतु संत कबीर बालक छात्रावास में दिनांक 16/03/2020 को हुई बैठक में छात्रों द्वारा की गई मांगों/सुझाव को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अमान्य करते हुए नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतियात के रूप में विश्वविद्यालय के छात्रावास में निवासरत छात्रों को सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव दिनांक 17/03/2020 से कमरा खाली करें अन्यथा जिन छात्रों द्वारा कमरा खाली नहीं किया जाता है तो उनके कमरे में लगे ताले को तोड़ कर उनके सामान का पंचनामा कर सुरक्षित एवं व्यवस्थित जगह रखा जायेगा।

M. K. Jaiswal
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

- 1 कुलपति के निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
- 2 कुलसचिव के निज सचिव, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ ।
- 3 संत कबीर बालक छात्रावास के मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक/ सहायक छात्रावास अधीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 विशेष कर्तव्य अधिकारी एवं श्री हुकुम सिंह सुरक्षा प्रभारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 नोटिस बोर्ड: संत कबीर बालक छात्रावास।

M. K. Jaiswal
कुलसचिव